बी-14 फारम सं0 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

.... से .... तक

आदेश पत्रक ता0 .... सन् 20 ....

जिला .... सं0 ....

केस का प्रकार– ....

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	न्यायालय, उप समाहर्त्ता, भू0सु0,सदर मेदिनीनगर। विविध अपील वाद सं0–02 / 2017–18 उस्मान अंसारी वगै0 .... अपीलार्थी –बनाम– फुलवंती देवी वगै0 .... विपक्षीगण **आदेश** आवेदको द्वारा ग्राम – चौरा था0 विश्रामपुर जिला – पलामू के खाता नं0 – 35 प्लॉट नं0 – 201 एवं अन्य की भूमि जिसका विपक्षी के नाम से कायम निराधार जमाबंदी को रद्द करने हेतू दिए गये आवेदन पत्र के आलोक में वाद अंगीकृत करते हुए विपक्षी को सूचना निर्गत की गयी तथा अंचल अधिकारी विश्रामपुर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। यह वाद वर्ष 2017 से लंबित है अंचल अधिकारी विश्रामपुर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त नही हो सका । आवेदक की आवेदन अर्जी के अनुसार ग्राम – चौरा थाना विश्रामपुर के खाता नं0 – 35 कुल रकबा 5.45 ए0 भूमि विगत सर्वे खतियान में चीमन शेख पिता – मोहम्मद अली ,पीर अली पिता – शेख रघु एवं बाहुद्दीन शेख पिता – लुबची शेख के नाम से बराबर हिस्सा के लिए दर्ज है । आवेदकगण खतियानी रैयत के वैध उत्तराधिकारी है जो मौरूसी खतियानी भूमि में दखल कब्जा में है खतियानी रैयत जबतक जीवित रहे भूमि का मालगुजारी भूतपूर्व जमींदार	2/12/25

पलामू जिला अधिवक्ता कल्याण कोष, डालटनगंज

प्राधिकृत हस्ताक्षर

को भुगतान करते रहे तत्पश्चात आवेदक मालगुजारी का भुगतान करना प्रारंभ किए । कथन है कि न तो आवेदको ने और न आवेदको के पूर्वजों ने ही प्रश्नगत भूमि विपक्षी या अन्य किसी को अन्तरित भी है । विपक्षी का खतियानी रैयत से कोई सम्बंध नही है जबकि विपक्षी के नाम से बिनाा आधार के जमाबंदी कायम है । नियमतः कानूनी प्रावधान के अनुसार खतियानी रैयत के बाद उनके वैध उत्तराधिकारीयों का भूमि पर अधिकार एवं दखल कब्जा होता है जबतक कि कोई वैध कागजात या न्यायालय की प्रक्रिया से भूमि किसी अन्य को प्राप्त नही होती है। आवेदको ने कई बार प्रश्नगत भूमि की विपक्षी के नाम से कायम जमाबंदी में सुधार मे लिए अंचल अधिकारी को आवेदन दिया किन्तु आवेदको के आवेदन पर विचार कर विपक्षी की जमाबंदी में सुधार या रद्व नही किया गया । आवेदको ने विपक्षी की जमाबंदी को रद्व करने हेतू निवेदन किया है।

विपक्षी गण द्वारा दाखिल लिखित बहस में किये गए दावा के अनुसार इस वाद में बनाये गए तीनों विपक्षी पहला फूलवंती देवी दूसरा कलावती देवी तीसरा राजमती देवी का पूर्व में ही देहांत हो चुका है इसलिए मृत व्यक्ति पर दायर यह वाद चलने योग्य नही है। फूलवंती देवी पति – स्व0 बद्रीनारायण दुबे का अपने पीछे दो पुत्र ह्रदया दुबे एवं दशरथ दुबे को उत्तराधिकारी के रूप में छोडकर निधन हुआ । कालांतर में ह्रदया दुबे की हत्या के बाद उनका पुत्र कमलेन्दु दुबे ब्रजेश दुबे एवं इन्देश दुबे जीवित उत्तराधिकारी है । कुलवंती देवी पति – स्व0 चन्द्रिका दुंबे का भी अपने पीछे छः पुत्र सुदामा दुबे त्रियोगी दुबे , लवकुमार दुबे के बाद उनके हक हिस्सा वाली भूमि के उत्तराधिकारी हुये । राजमती देवी पति – स्व0 अनिरूद्व दुबे भी अपने पीछे तीन पुत्र सरयु दुबे , सच्चिदानंद दुबे एवं सुनील दुबे को छोडकर स्वर्गवास कर गये जो उनके वर्तमान में जीवित उत्तराधिकारी है । कथन है कि खाता सं0 – 35 के कुल रकबा – में से 34 .86 ए0 भूमि की जमाबंदी उपर्युक्त फुलमती देवी कुलवंती देवी राजमती देवी के नाम से संयुक्त रूप से कायम है जिसपर इन तीनों के उत्तराधिकारी अपने हिस्सा के मुताबिक भूमि के दखल कब्जा में है। आवेदक गण ने पूर्व में भी विपक्षीगण की

जमाबंदी रद्द करने हेतू विविध वाद सं0 – 74 / 1985–86 दायर किया था जो दिनांक – 28.07.1986 को खारिज हो गया। उसी भूमि को लेकर आवेदको ने यह वाद दायर किया है । विपक्षी का दावा है कि ग्राम – धउरा के भूतपूर्व जमींदारों के बीच जमींदारी हिस्सा के बंटवारा के लिए बंटवारा वाद सं0 – 12 / 1919 दाखिल हुआ जिसमें दुबे भगवान राम प्रतिवादी सं0 – 14 एवं दुबे राजकुमार राम प्रतिवादी सं0 – 06 थे। खाता सं – 35 ग्राम – धउरा की भूमि एवं रैयत इन्ही दोनों के तख्ता मे हिस्सा मिला था। दुबे भगवान राम को 6 पाई 7 करंत 10 बसंत हिस्सा था उसी हिस्सा के अनुरूप वे खाता सं0 – 35 के रैयत मालगुजारी लेने के हकदार थे। खाता – 35 का रैयत एवं कुछ जमीन दुबे राजकुमार राम को भी आवंटित हुआ था। खाता सं0 – 35 के रैयत भूतपूर्व जमींदारो को मालगुजारी देने मे असमर्थ हो जाने के कारण सन् 1924 –25 में खाता – 35 की जमीन को जमींदार के पक्ष में छोड दिया तथा जोत – कोड करना एवं मालगुजारी देना भी बंद कर दिया और भूमि भूतपूर्व जमींदार के दखल कब्जा में दे दिया । इस प्रकार दोनो तख्ताधारी का जमींदारी हिस्सा के अनुरूप दखल कब्जा में आ गये और इसे बकास्त के रूप में उपयोग करने लगे । दुबे भगवान राम अपने पीछे एक पुत्र नंदकिशोर राम को छोडकर मरे जो उनके मरनोपरांत हिस्सा के अनुसार खाता नं0 – 35 के कुल रकबा – 34.86 ए0 भूमि के दखल कब्जा में आ गया। बाद में राजकुमार दुबे ने अपना जमींदारी का हिस्सा नंदकिशोर दुबे के पक्ष में कर दिया । फलस्वरूप नंदकिशोर दुबे खाता नं0– 35 के सम्पूर्ण भूमि के स्वामित्व एव कब्जा में आ गये। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात नंदकिशोर दुबे के सभी उत्तराधिकारयों की ओर से जमींदारी उन्मलन के पश्चात नंदकिशोर दुबे के सभी उत्तराधिकारीयों की ओर से जमींदारी रिर्टन दाखिल किया गया जिसमें खाता नं0 – 35 की जमीन को अपनी खास दखल कब्जा में दिखाया गया बाद में स्व0 नन्दकिशोर दुबे के पुत्र लक्ष्मीनारायण दुबे,सत्यनारायण दुबे , विष्णुदेव दुबे , उदित नारायण दुबे एवं सूरत दुबे के पुत्र रामवचन दुबे एवं मंगलेश्वर दुबे ने संयुक्त रूप से खाता सं0 – 35 रकबा – 34.86 ए0 भूमि का

हस्तानातरण निबंधित केवाला के माध्यम से दिनांक – 16.04.1957 को श्रीमति फूलवंती देवी श्रीमती कुलवंती देवी एवं श्रीमती राजमती देवी के पक्ष में करते हुए दखल कब्जा सौंप दिया उक्त केवाला एवं दखल कब्जा के आधार पर उपर्युक्त तीनो क्रेताओ के नाम से दाखिल खारिज वाद सं0 – 124/1957–58 से दाखिल खारिज होकर रकबा 34.86 ए0 का जमाबंदी कायम होकर मालगुजारी रसीद निर्गत होने लगी तथा उनके मरनोपरांत उनके उत्तराधिकी भूमि के दखल कब्जा में है तथा मालगुजारी का भुगतान कर मालगुजारी रसीद निर्गत करते आ रहे है। विपक्षी का दावा है कि वर्ष 1957–58 से कायम जमाबंदी को रद्द करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नही है। आवेदक का आवेदन निराधार है जो खारिज के योग्य है।

आवेदको ने ग्राम – चौरा के खाता सं0 – 35 का खतियान की छायाप्रति जो चिमनशेख पिता – मोहम्मद अली, पीर अली, पिता – शेख रघु एवं बाहुद्दीन शेख पिता – लुची शेख के नाम से बराबर हिस्सा के लिए दर्ज है दाखिल किया है जबकि विपक्षी ने विविध वाद सं0– 74/85–86 में अपर समाहर्त्ता पलामू द्वारा दिनांक – 28.07.1986 का पारित आदेश दाखिल – खारिज वाद सं0 – 124/1957–58 मे फुलमती देवी कुलवंती देवी एवं राजमती देवी के नाम से अन्य भूमि के साथ खाता सं0 – 35 रकबा 34.86 ए0 का अंचल अधिकारी द्वारा पारित दाखिल खारिज आदेश फुलमती देवी वगै0 के नाम से वर्ष 2016–17 का मालगुजारी रसीद एवं फुलवंती देवी वगै0 के पक्ष में पंडित लक्ष्मीनारायण दुबे के द्वारा खाता – 35 के लिए वर्ष 1957 का निष्पादित केवाला एवं रामवचन दुबे भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल जमींदारी रिटर्न एवं पार्टीशन सूट नं0 – 12/1919 में पार्टीशन सूट की छायाप्रति (सभी कागजात की छायाप्रति) दाखिल किया है। अपर समाहर्त्ता पलामू द्वारा विविध वाद सं0 – 74/85–86 में दिनांक – 28.07.1986 का पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदाको द्वारा पूर्व मे इसी आशय को विपक्षी के विरूद्व दायर आवेदन खारिज हो चुका है । आवेदको ने उक्त आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील दायर नही कर पुनः उसी

आशय का आवेदन दिया है जो रेसजुडिकेट (Resjudicate) से बाधित है। दा0 खा0 वाद सं0 – 124/57–58 में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अचंल अधिकारी विश्रामपुर द्वारा ग्राम – चौरा के खाता नं0 – 35 रकबा – 34.86ए0 भूमि का फुलमती देवी कुलवन्ती देवी एवं राजमती देवी के नाम से दाखिल – खारिज होकर जमाबंदी कायम है तथा मालगुजारी रसीद निर्गत हो रही है। स्पष्ट है विपक्षी की जमाबंदी सक्षम पदाधिकारी अंचल अधिकारी के आदेश से दा0 खा0 होकर वर्ष – 1957–58 से कायम है जो बहुत पुरानी है पुरानी जमाबंदी को रद्व करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नही है । फलतः आवेदको का आवेदन निराधार एवं खारिज के योग्य है।ऐसी स्थिति में आवेदको का आवेदन ..अस्वीकृत.. करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित।

9.10.21
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर मेदिनीनगर।

9-10-21
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर मेदिनीनगर।

Digitally signed by Pyare Lal
Date: 2024.07.22 06:36:04 -07:00
Location: 192.168.54.181

138
जिला अधिवक्ता कल्याण कोष, डालटनगंज